ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी

ई–निविदा सूचना

पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी जिलाः शिवपुरी से विभिन्न दुग्ध शीत केन्द्रों /दुग्ध समितियों/गौशालाओं तक पशु आहार परिवहन हेतु तीन वर्ष के लिए ऑन लाईन ई–निविदा www.mptenders.gov.in के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है। कार्य संतोषजनक होने पर एक–एक वर्ष कर अतिरिक्त दो वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी ।

क्रमांक	कार्य का नाम	EMD राशि	कार्य की समय सीमा
1.	पशु आहार संयंत्र शिवपुरी से पशु आहार परिवहन का कार्य	रू. 50000/–	तीन वर्ष

ऑन लाईन दरें दिनांक 17.05.2022 को दोपहर 3:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। विस्तृत/निविदा विक्रय प्रपत्र पोर्टल www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है जो इसी पोर्टल पर ही जमा किया जा सकेगा। निविदा संबंधी विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी www.sanchigwalior.com पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
पशु आहार संयंत्र शिवपुरी
तीन वर्ष हेतु सुदाना परिवहन
ई–निविदा

(इकाई–ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर)

दूरभाष क्र0 9406900751

E- mail : cffshivpuri@gmail.com

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी

–: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :–

सुदाना परिवहन

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, पशु आहार संयंत्र शिवपुरी,से सुदाना पशु आहार विभिन्न स्थानों हेतु परिवहन दरें ई–निविदा के माध्यम से आनलाईन आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र विक्रय प्रारम्भ दिनांक / समय :	25.04.2022 12:30 pm	निविदा प्रपत्र विक्रय समाप्ति दिनांक / समय :	17.05.2022 1.00 pm
निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक / समय	17.05.2022 3.00 pm	निविदा खोलने की दिनांक / समय	18.05.2022 3.00 pm

निविदा खोलने का स्थान :– ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.,गोला का मंदिर ग्वालियर (म.प्र.)
निविदा प्रपत्र की कीमत :– रूपये 500 / – (रूपये पॉच सौ मात्र) + पोर्टल चार्जेस अतिरिक्त
क्रेडिटकार्ड / डेबिटकार्ड / नेट बैंकिग द्वारा क्रय किये जावे जो वापसी योग्य नहीं।
EMD :– रूपये 50000 / – (रूपये पचास हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी।

प्रथमतः तकनीकी प्रपत्र खोले जावेंगे। तत्पश्चात् तकनीकी अर्हता पूर्ण प्रस्ताव / निविदाकारों की वित्तीय प्रपत्र खोले जाकर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

!! निविदा की सामान्य शर्तें!!

1. पशु आहार परिवहन निविदा की दरें ई–निविदा के माध्यम से ऑनलाईन स्वीकार होगी।
2. निविदा प्रपत्र में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। पशु आहार संयंत्र शिवपुरी, से विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु परिवहन की दरें अंको के साथ–साथ अक्षरों में भी भरी जावे।
3. विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु दी जाने वाली निविदा दरें ''रूपया प्रति मै.टन'' (One Way दरें)प्रपत्र में दर्शाये गये स्थानों के लिए देय होगी।
4. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र शिवपुरी के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। साधरणतः संयंत्र से टक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता है इसके पश्चात् टक अगले दिन ही भरे जायेगें।
5. अनुबंध पत्र (इकरार नामा) निष्पादित करने के पूर्व निविदाकार द्वारा अमानत राशि (सिक्यूरिटी डिपॉजिट) के मद में रूपये 1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र) जमा करना आवश्यक होगा जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।
6. निविदाकार द्वारा ऑनलाईन ई.एम.डी राशि रूपये 50000/–का ऑनलाईन भुगतान करना होगा है।निविदा स्वीकृत न होने की स्थिति में ऑनलाईन जमा की गई राशि ऑनलाईन वापस की जावेगी।
7. निविदा अस्वीकृत होने पर अर्नेस्ट मनी की वापसी सामान्यतः 30 दिनो पश्चात् वापस की जा सकेगी।
8. पूर्व में जिन ठेकेदारों द्वारा दुग्ध शीत केन्द्रो/दुग्ध समितियों पर सुदाना परिवहन कार्य सम्पादित किया जा रहा है। उन्हे अलग से दोबारा अमानत राशि जमा करनी होगी पूर्व की राशि किसी भी दशा में समायोजित नही की जावेगी।
9. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदाकार द्वारा विभिन्न जानकारियों तथा अनुबंध की शर्तो का अध्ययन कर लिया है तथा वे इससे सहमत है। निविदाकार द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई शर्त लगाई जाती है तो प्रस्तुत निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
10. **मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु उद्योग में पंजीकृत परिवहनकर्ताओं को धरोहर राशि में छूट प्रदान की जावेगी। इस हेतु प्रमाण – पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी

(इकाईः ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर म.प्र.)

:– पशु आहार परिवहन निविदा की शर्तें:–

1. यदि विशेष परिस्थितियों में पशु आहार शीत केन्द्रो/दुग्ध समितियों पर तत्काल भेजा जाना है तो प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों पर अवकाश के दिन या समयावधि के पश्चात् (शाम 05 बजे के बाद) पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी पशु आहार संयंत्र के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय मान्य होगा।
2. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् परिवहनकर्ता को उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अगले दिन के लिये परिवहन कार्यादेश प्रातः 11:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिदिन जो वाहन भेजा जावेगा उसके साथ वह स्वयं या उसके प्रतिनिधि वाहन के साथ आयेगें। टान्सपोर्ट की स्लीप जिस पर गंतव्य स्थान गाड़ी का नम्बर एवं मात्रा अंकित कर सुरक्षा शाखा में जाकर मेन गेट पर प्रविष्टी करने के उपरान्त ही वे टक लेकर भरने के लिये आयेगें। उनका प्रतिनिधि विक्रय विभाग में स्लीप लेकर एवं स्लीप पर अंकित मात्रा में ही पशु आहार की बोरी लोड करायेगें एवं परिवहन ठेकेदार या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि टक लोड होने के उपरान्त कार्यालय के विक्रय शाखा में आकर गेट पास एवं चालान प्राप्ति के बाद सुरक्षा शाखा में गेट पास देकर व हस्ताक्षर कर भरा हुआ वाहन संयंत्र परिसर से बाहर ले जावेगें। किसी भी स्थिति में भरा हुआ वाहन लोड होने के पश्चात् खड़ा नही किया जावेगा। यदि गाडी में अधिक या कम लोड करते पाये जाते है तो उसकी जवाबदारी परिवहनकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की होगी एवं परिवहन ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी परिवहनकर्ता का कोई भी टक डायवर एवं क्लीनर संयंत्र के गोदाम के अन्दर प्रवेश नही करेगा।
3. यदि परिवहनकर्ता स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि प्रातः 11:00 बजे तक लिखित में कार्यनिर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नही होते है तो ऐसी परिस्थिति में परिवहनकर्ता पर रू. 1000/– (रू एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा।
4. संयंत्र से वाहन भरने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध शीत केन्द्र/ दुग्ध समितियों में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टि के दौरान दर्ज होता है। उक्त वाहन को दुग्ध संस्था तक पहुँचने हेतु उतना समय दिया जावेगा जितना समय दुग्ध संस्था तक पहुचने में लगता है, देरी की दशा में सम्पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी।
5. अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कराणवश खराबी आ जाती है उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के विपणन शाखा के कर्मचारियों/ अधिकारियों को देना है परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण वाहन का स्थान जहॉ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध संस्था तक पहुच जावेगा इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।
6. परिवहनकर्ता के वाहन का आर.टी.ओ. से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेश परमिट आदि लोड़िग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है एवं निविदाकर्ता के पास कम से कम स्वयं के नाम के तीन वाहन (टक) होना अनिवार्य है। स्वयं का वाहन नहीं होने पर निविदा अमान्य की जावेगी। निविदाकर्ता उक्त दस्तावेज बंद लिफाफे में निविदा दिनांक को समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करें।
7. परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बाडी) अच्छी हालत में होना चाहिये यदि पशु आहार टक में भरते समय बोरी फटने, कटने की दशा में परिवहनकर्ता को नुकसान का वहन करना होगा।

8. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों पर ठेका श्रमिक द्वारा जो श्रमिक कार्य पर रखे जाते है उन्ही के द्वारा दुग्ध वाहन से दुग्ध की केन लोड़िग अनलोड़िग की जाती है अतः दुग्ध केन लोड़िग अनलोड़िग के पश्चात् ही उन्ही श्रमिकों से पशु आहार का वाहन खाली किये जावेगें। विलम्ब से पशु आहार अनलोड़िग पर पशु आहार संयंत्र एवं दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों की जवाबदारी नही रहेगी।
9. कार्यनिर्दश प्राप्त होने के 24 घंटे के अन्दर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध कराकर लोड़िग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा। कुछ दुग्ध संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना जरूरी है। टक उपलब्ध न कराने पर रू. 1000/–(रु.एक हजार मात्र) प्रतिदिन प्रतिस्थान का अर्थदण्ड किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में कार्यसम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है तथा इस व्यवस्था में अतिशेष भुगतान की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली की जावेगी।
10. परिवहन के दौरान मार्ग में किसी भी प्रकार की टूट–फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिये ठेकेदार उत्तरदायी माने जावेगें तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।
11. यदि लगातार तीन बार परिवहनकार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्यकार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दिया जा सकेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
12. दुग्ध शीत केन्द्रो/ दुग्ध समितियों से पशु आहार की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नही होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नही है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य पशु आहार की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है।
13. परिवहनकर्ता 1 से 30/31 तारीख तक के मासिक देयक 10 तारीख तक पशु आहार संयंत्र शिवपुरी कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगें। जिसका भुगतान कार्यालयीन औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् प्रति माह किया जावेगा, किसी भी परिस्थिति में भुगतान नहीं होने की दशा में देरी अवधि का कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
14. अनुबंध की अवधि 3 वर्षों की होगी तदापि परिवहनकर्ता का परिवहन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक –एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जावेगी।
15. वाहन की लोडिंग/अनलोडिंग आदि का व्यय ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा।
16. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी परिवहनकर्ता पर होगी। इस कारण संयंत्र को हुई हानि की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूल की जावेगी।
17. निविदाकर्ता या उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियियों/कर्मचारियों एवं सुरक्षाधिकारियों के साथ सौहाद्रपूर्ण होना चाहिये।
18. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्ही निबंधनों एवं शर्तो का पालन न किये जाने अथवा इनका उल्लघंन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में अग्रिम निविदा की पूर्णता तक परिवहन ठेका द्वितीय निविदाकर्ताको देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की अमानत राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।

19. किसी भी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होने चाहिये। किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर आवश्यक होने चाहिये जिसके पास ऐसा करने के लिये मुख्तार नामा है। इस प्रकार की उक्त फर्म ''भारतीय भागीदार अधिनियम'' के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
20. ठेका समाप्त होने पर ठेकादार को अमानत राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ठेकेदार के संयंत्र कार्यालय में जमा अमानत राशि वापस की जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
21. अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही परिवहन दर में कमी/वृद्धि की जावेगी डीजल की दर दुग्ध संघ के पेट्रोल पम्प को आधार माना जावेगा। दर में कमी/वृद्धि गणना प्रति **9** मै. टन भार के अनुसार की जावेगी।

क्रमांक	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
01	टक	04 कि.मी.

डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर दर में वृद्धि नहीं की जावेगी।
22. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नही किया जावेगा।
23. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों सहित अन्य शासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुॅचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयको का भुगतान किया जावेगा। प्रदाय तिथि से 5 दिवस में माल प्राप्ति की रसीद संस्था में प्रस्तुत न करने पर रूपये 500/– प्रति दिन प्रति पावती जुर्माना कर देयक से कटोत्रा किया जावेगा।
24. नियमानुसार आयकर आदि का कटौत्रा परिवहन देयकों से काटा जावेगा।
25. नियमानुसार जी.एस.टी. का भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा यदि जी.एस.टी. का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाता हैं ऐसी स्थिति में भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर जी.एस.टी. मद में व्यय राशि की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी।
26. संयंत्र में भराने के लिये आए हुए दुग्ध संस्था के टेक्टर–टाली/संकलन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर भराया जायेगा।
27. पशु आहार भरने के लिये आने वाले वाहनों का खाली एवं भरे होने का वजन संयंत्र के तौल कांटे पर किया जाता है। अपरिहार्य कारणो से संयंत्र के तौलकांटे पर वजन न हो पाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को स्वयं के व्यय पर खाली एवं भरे टक का वजन अन्य धर्मकांटे पर कराना होगा वजन संयंत्र के सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा परिवहनकर्ता द्वारा खाली एवं भरे टक की तौल कांटा पर्ची प्रस्तुत करने के पश्चात् ही विपणन शाखा द्वारा गेट पास जारी किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में विलम्ब के लिये परिवहनकर्ता/टक डायवर स्वयं जवाबदार रहेंगें।
28. उपरोक्त वर्णित शर्तो का पालन नही किया जाता है तो 3 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/शर्तो का पालन नही करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर अमानत राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
29. सामान्यतः पशु आहार परिवहन हेतु लगभग 20 मै.टन या अधिक क्षमता के वाहनो की आवश्यकता रहेगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार 16 मै.टन/12 मै.टन/10 मै.टन क्षमता के वाहन भी उपलब्ध कराने होगें।
30. पशु आहार लोड़िग हेतु वाहन उपलब्ध कराने के उपरान्त यदि अपरिहार्य कारणों से वाहन नही भरा जाता है तो विलम्ब के लिये पशु आहार संयंत्र की जवाबदेही नही रहेगी।

31. गन्तव्य स्थानों की सूची मय दूरी के संलग्न है यदि भविष्य में नये स्थानों पर परिवहन करना होता है तो सबसे नजदीक स्थान की दर को आधार मानते हुये परिवहनदर की गणना की जावेगी तदानुसार वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
32. जिलों में संचालित गौशालाओं की संख्या परिवर्तनशील हो सकती है। तथा पशु आहार की मात्रा पशु पालन विभाग के अनुसार निर्धारित की जाती है तदानुसार गौशालाओं तक पशु आहार परिवहन किया जावेगा जिसकी लोडिंग /अनलोडिंग का व्यय परिवहनकर्ता द्वारा वहन करना होगा ।
33. अनुबंध में उल्लेखित शर्तो का दृढ़ता के साथ पालन करना अतिआवश्यक है, यदि अनुबंधकर्ता शर्तो का पालन करने में असफल/अनियमित पाया गया तो एक माह का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार मुख्यकार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
34. समस्त अदालती विवाद ग्वालियर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी

EMD प्रपत्र

तीन वर्ष हेतु सुदाना परिवहन
ई–निविदा

EMD	
निविदाकार का नाम	
EMD राशि	
ऑनलाईन जमा EMD विवरण	
दिनांक	

* EMD जमा की रसीद की Scaned Copy अटैच करें।

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
तकनीकी प्रपत्र

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी
तीन वर्ष हेतु सुदाना परिवहन
ई–निविदा

1. निविदाकार का नाम	:		
2. निविदाकार का पता			
अ. पंजीकत कार्यालय	:		
ब. पता	:		
स. ई–मेल	:		
द. दूरभाष कमांक	:		
3. अधिकृत व्यक्ति का नाम	:		
4. पैन नम्बर			
5. जी.एस.टी. नम्बर			
6 **MSME** में पंजीयन का विवरण			
6. निविदाकार क नाम पंजीकृत वाहनों का विवरण	:	वाहन क.	क्षमता

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी

दर प्रपत्र

तीन वर्ष हेतु सुदाना परिवहन ई–निविदा

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी से विभिन्न स्थानों पर पशु आहार भेजे जाने के लिये निविदाकार द्वारा तीन वर्ष के परिवहन के लिए भरी जाने वाली दरें (रूपये प्रति मैटिक टन) GST के अतिरिक्त ऑनलाईन दरें इस प्रपत्र में दी जाना है।

क्र.	गन्तव्य स्थानों का नाम	अनुमानित दूरी (कि.मी)	दर (रूपये प्रति मैट्रिक टन)	
			अंका में	शब्दों में
1	श्योपुर	117		
2	वानमोर	140		
3	दतिया	105		
4	डबरा	137		
5	भांडेर	136		
6	दबोह	171		
7	मेहगॉव	183		
8	टीकमगढ़	230		
9	अशोकनगर	130		
10	आगर मालवा	312		
11	गुना	105		
12	नरसिंहगढ़	231		
13	शाजापुर	288		
14	राजगढ़	220		
15	पचोर	230		
16	मनासा	387		
17	मंदसौर	391		
18	रतलाम	456		
19	उज्जैन	356		
20	शामगढ	329		
21	आलोट	378		
22	कमेड. (रतलाम)	434		
23	मड़ावदा (रतलाम)	431		
24	सरसी (रतलाम)	444		
25	उपलाई (रतलाम)	438		
26	गाजनोद (रतलाम)	438		
27	बिड़बाल (रतलाम)	448		
28	बालागुढ़ा (मंदसौर)	411		
29	उमरिया (मंदसौर)	414		
30	चिल्लौद पिपल्या (मंदसौर)	401		
31	बूढ़ा (मंदसौर)	414		

32	जीरापुर (राजगढ़)	260		
33	कराहल (श्योपुर)	78		
34	विजयपुर (श्योपुर)	93		
35	खिलचीपुर	237		
36	मांगलिया (इन्दौर)	373		
37	सिरोंजा सागर	307		
38	बंडोल (सिवनी)	546		
39	पचामा (सीहोर)	313		
40	श्योपुर जिले की गौशालाओं	117		
41	शिवपुरी जिले की गौशालाओं	60		
42	भिण्ड जिले की गौशालाओं	200		
43	मुरैना जिले की गौशालाओं	160		
44	ग्वालियर जिले की गौशालाओं	120		
45	अशोकनगर जिले की गौशालाओं	130		
46	दतिया जिले की गौशालाओं	105		
47	गुना जिले की गौशालाओं	105		
48	राजगढ जिले की गौशालाओं	240		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुबन्ध पत्र

मैसर्स (परिवहनकर्ता) (प्रथम पक्ष) एवं ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर ग्वालियर(द्वितीय पक्ष) के मध्य निष्पादित किया जा रहा है।

1. अनुबंध की अवधि 3 वर्षों की होगी यह अनुबंध दिनांक .... से .... की अवधि हेतु मान्य रहेगा। तदापि परिवहनकर्ता का परिवहन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक –एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जावेगी।
2. कार्य आदेश में स्वीकृत परिवहन दरें दिनांक .... की स्थिति में डीजल मूल्य के आधार पर बेसिक दरों के रुप से स्वीकृत है ।
3. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात प्रभारी पशु आहार संयत्र, शिवपुरी के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। साधारणतः संयंत्र से ट्रक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता हैं, इसके पश्चात् ट्रक अगले दिन ही भरे जावेगें ।
4. यदि विशेष परिस्थितियों में पशु आहार शीत केन्द्रो/दुग्ध समितियों पर तत्काल भेजा जाना है तो उपरोक्त दर्शित समय के उपरान्त प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्धशीत केन्द्र/दुग्ध समितियों पर अवकाश के दिन या समय अवधि के पश्चात् (शाम 05 बजे के बाद) पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी पशु आहार संयंत्र के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय मान्य होगा।
5. परिवहनकर्ता को या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अगले दिन के लिये परिवहन कार्य आदेश प्रातः 11.00 बजे तक अनिवार्य रुप से प्राप्त करना होगा निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिदिन जो वाहन भेजा जायेगा उसके साथ वह स्वयं या उसके प्रतिनिधि वाहन के साथ आयेंगे। ट्रांसपोर्ट की स्लीप जिस पर गंतव्य स्थान गाड़ी का नम्बर एवं मात्रा अंकित कर सुरक्षाशाखा में जाकर मेन गेट पर प्रविष्टी करने के उपरान्त ही वे ट्रक लेकर भरने के लिये आयेंगे। उनका प्रतिनिधि विक्रय विभाग में स्लीप लेकर एवं स्लीप पर अंकित मात्रा में ही पशु आहार की बोरी लोड करायेंगे एवं परिवहनकर्ता या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ट्रक लोड होने के उपरान्त कार्यालय के विक्रयशाखा में आकर गेट पास एवं चालान प्राप्ति के बाद सुरक्षा शाखा में गेट पास देकर व हस्ताक्षर कर भरा हुआ वाहन संयंत्र परिसर से बाहर ले जावेंगे। किसी भी स्थिति में भरा हुआ वाहन लोड होने के पश्चात् खड़ा नही किया जावेगा। यदि गाडी में अधिक या कम लोड करते पाये जाते है तो उसकी जबाबदारी परिवहनकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की होगी एवं परिवहन ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी परिवहनकर्ता का कोई भी ट्रक ड्रायवर एवं क्लीनर संयंत्र के गोदाम के अन्दर प्रवेश नही करेगा।
6. यदि परिवहनकर्ता स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि प्रातः 11 बजे तक लिखित में कार्य निर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नही होते है तो ऐसी परिस्थिति में परिवहनकर्ता पर रु0 1000/– (रु0 एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा।

7. संयंत्र से वाहन भराने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों/गौशालाओं में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टी के दौरान दर्ज होता है। उक्त वाहन को दुग्ध संस्था तक पहुचने हेतु उतना समय दिया जायेगा जितना समय दुग्ध संस्था तक पहुचने में लगता है। देरी की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी ।
8. अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है उसकी सूचना तत्काल कार्यालय केविपणनशाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना है परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण वाहन का स्थान जहॉ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध संस्था तक पहुच जावेगा इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।
9. परिवहनकर्ता के वाहन का आर0टी0ओ0 से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है ।
10. परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बाडी) अच्छी हालत में होना चाहिये यदि पशु आहार ट्रक में भरते समय बोरी फटने कटने की दशा में परिवहनकर्ता को नुकसान का वहन करना होगा।
11. दुग्धशीत केन्द्रो/दुग्ध समितियों पर श्रमिक परिवहनकर्ता द्वारा जो श्रमिक कार्य पर रखे जाते है उन्ही के द्वारा दुग्ध वाहन से दुग्ध की केन लोडिंग अनलोडिंग की जाती है अतः दुग्ध केन लोडिंग अनलोडिंग के पश्चात ही उन्ही श्रमिकों से पशु आहार का वाहन खाली किये जावेगें। बिलम्ब से पशु आहार अनलोडिंग पर पशु आहार संयंत्र एवं दुग्धशीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों की जबाबदारी नही रहेगी।
12. कार्य निर्देश प्राप्त होने के 24 घण्टे के अंदर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा कर लोडिंग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा । कुछ दुग्धशीत केन्द्र/संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना जरूरी है। ट्रक उपलब्ध न कराने पर रूपये 1000/—(रूपये एक हजारमात्र) का अर्थदण्ड किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है तथा इस व्यवस्था में अतिशेष भुगतान की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूली की जावेगी ।
13. परिवहन के दौरान मार्ग में किसी भी प्रकार की टूट—फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि केफलस्वरूप हुई क्षति के लिए परिवहनकर्ता उत्तरदायी माने जावेगे तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहनदेयक से वसूल की जावेगी।
14. यदि लगातार तीन बार परिवहन कार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य परिवहनकर्ता को दिया जा सकेगा एवं परिवहनकर्ता द्वारा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
15. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों /गौशालाओं से पशु आहार की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य पशु आहार की मात्रा कम ज्यादा हो सकती हैं।

16. परिवहनकर्ता 1 से 30/31 तारीख तक के मासिक देयक 10 तारीख तक पशु आहार संयंत्र शिवपुरी कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगें। जिसका भुगतान कार्यालयीन औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् प्रति माह किया जावेगा, किसी भी परिस्थिति में भुगतान नहीं होने की दशा में देरी अवधि का कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
17. गाड़ी की लोडिंग/अनलोडिंग आदि का व्यय ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा।
18. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी परिवहनकर्ता की होगी। इस कारण संयंत्र को हुई हानि की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूली की जायेगी ।
19. निविदाकार या उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के साथ सौहाद्रपूर्ण होना चाहिए।
20. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्ही निबंधनों एवं शर्तो का पालन न किये जाने अथवा इनका उल्लघंन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में अग्रिम निविदा की पूर्णता तक परिवहन ठेका द्वितीय निविदाकर्ता को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की अमानत राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
21. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तो का पालन न किए जाने अथवा इनकाउल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालनअधिकारी द्वारा अमानत की सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में परिवहन ठेका अन्य निकटतम भावदाताओं को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
22. प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी डिपॉजिट) के मद में रूपये 1,00,000/— (रूपये एक लाख मात्र) कुल जमा करने होगें जिसमें EMD राशि का समायोजन हो सकेगा।
23. ठेका समाप्त होने पर परिवहनकर्ता को प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत परिवहनकर्ता की संयंत्र कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
24. अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही परिवहन दर में कमी/वृद्धि की जावेगी डीजल की दर दुग्ध संघ के पेट्रोल पम्प को आधार माना जावेगा। दर में कमी/वृद्धि की गणना प्रति **9** मै.टन भार के अनुसार की जावेगी।

क्रमांक	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
01	टक	04 कि.मी.

डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर दर में वृद्धि नहीं की जावेगी।

25. परिवहनकर्ता को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नहीं किया जावेगा।
26. दुग्धशीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों सहित अन्य शासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयको का भुगतान किया जावेगा प्रदाय तिथि से 5 दिवस में माल प्राप्ति की रसीद संस्था में प्रस्तुत न करने पर रूपये 500/– प्रति दिन प्रति पावती जुर्माना कर देयक से कटोत्रा किया जावेगा ।
27. परिवहनकर्ता के देयको से शासन के नियमानुसार आयकर एवं अन्य करों का कटोत्रा किया जावेगा।
28. नियमानुसार जी.एस.टी. का भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा यदि जी.एस.टी. का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाता हैं ऐसी स्थिति में भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर जी.एस.टी. मद में व्यय राशि की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी।
29. संयंत्र में भराने के लिये आए हुए दुग्ध संस्था के ट्रेक्टर–ट्राली/संकलन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर भराया जायेगा।
30. पशु आहार भरने के लिये आने वाले वाहनों का खाली एवं भरे होने का वजन संयंत्र के तौल कांटे पर किया जाता है। अपरिहार्य कारणो से संयंत्र के तौलकांटे पर वजन न हो पाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को स्वयं के व्यय पर खाली एवं भरे ट्रक का वजन अन्य धर्मकांटे पर कराना होगा वजन संयंत्र के सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा परिवहनकर्ता द्वारा खाली एवं भरे ट्रक की तौल कांटा पर्ची प्रस्तुत करने के पश्चात् ही विपणन शाखा द्वारा गेट पास जारी किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में विलम्ब के लिये परिवहनकर्ता/ट्रक ड्रायवर स्वयं जवाबदार रहेंगें।
31. उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नही किया जाता है तो 3 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/शर्तो का पालन नही करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर अमानत राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
32. सामान्यतः पशु आहार परिवहन हेतु लगभग 20 मै.टन या अधिक क्षमता के वाहनो की आवश्यकता रहेगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार 10 मै.टन/12 मै. टन/16 मै.टन क्षमता के वाहन भी उपलब्ध कराने होगें।
33. पशु आहार लोड़िग हेतु वाहन उपलब्ध कराने के उपरान्त यदि अपरिहार्य कारणों से वाहन नही भरा जाता है तो विलम्ब के लिये पशु आहार संयंत्र की जवाबदेही नही रहेगी।
34. गन्तव्य स्थानों की सूची मय दूरी के संलग्न है यदि भविष्य में नये स्थानों पर परिवहन करना होता है तो सबसे नजदीक स्थान की दर को आधार मानते हुये परिवहन दर की गणना की जावेगी तदानुसार वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

35. जिलों में संचालित गौशालाओं की संख्या परिवर्तनशील हो सकती है। तथा पशु आहार की मात्रा पशु पालन विभाग के अनुसार निर्धारित की जाती है तदानुसार गौशालाओं तक पशु आहार परिवहन किया जावेगा जिसकी लोडिंग /अनलोडिंग का व्यय परिवहनकर्ता द्वारा वहन करना होगा ।

36. अनुबंध में उल्लेखित शर्तो का दृढ़ता के साथ पालन करना अतिआवश्यक है, यदि अनुबंधकर्ता शर्तो का पालन करने में असफल/अनियमित पाया गया तो एक माह का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

37. समस्त अदालती विवाद ग्वालियर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे ।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष **हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष**

गवाहः–

1———————————————— 1. ————————————————

2———————————————— 2.————————————————